भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy केन्द्रीयकृत काडर अनुभाग/Centralized Cadre Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan छ.शि.म.मार्ग/CSM Marg मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.Ne 21/3(2)/2012-सीसीएसGCS/ 2993

फरवरी /February 28, 2013

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : प्रशासन, लेखा एवं अन्य गैर-वैज्ञानिक/गैर तकनीकी काडरों में

मानवशक्ति की अधिकतम उपयोगिता - के बारे में ।

Sub Optimum utilization of manpower in Administrative,

Accounts and other non-scientific/non-technical cadres – reg.

दिनांक 7 नवंबर 1994 के परिपत्र सं 20/3(1)/84- सीसीएस/911 के साथ पठित इस विभाग के दिनांक 29 नवंबर 1992 के परिपत्र सं. 20/3(1)/84-सीसीएस/767 की शर्तों के अनुसार, पदोत्रतियों और तैनातियों के संबंध में िकये गये आदेशों को, यदि इसमें मुख्यालय में परिवर्तन शामिल हो तो भी तत्काल रूप से प्रभाव में लाया जाना चाहिए। यदि अधिकारी को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के अंदर कार्यमुक्त नहीं िकया जाता है तो यह माना जाएगा िक पदोत्रति हेतु उनकी रूचि नहीं है और तदनुसार वह एक वर्ष की अविध हेतु उक्त ग्रेड में पदोत्रति के लिए वंचित हो जाएंगे।

In terms of this Department's Circular No.20/3(1)/84-CCS/767 dated December 29, 1992 read with Circular No. 20/3(1)/84-CCS/911 dated November 7, 1994, orders made in respect of promotions and postings should be effected immediately even if it involves change of headquarters. If the officer is not relieved within 10 days of the receipt of the order, it will be presumed that he/she is not interested in the promotion and accordingly he/she will stand debarred from promotion to that grade for a period of one year.

2. विभाग के नोटिस में यह आया है कि विभाग की एक संघटक यूनिट के एक कर्मचारी को उनके द्वारा मेरिट कोटा के अंतर्गत अपनी पदोन्नति एवं तैनाती के आदेश को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इस विभाग द्वारा उन्हें एक वर्ष की अविध हेतु पदोन्नति से विवर्जित किया गया था, जबिक विभाग द्वारा किया गया यह विवर्जन केवल मेरिट कोटा के अंतर्गत की पदोन्नति हेतु ही लागू है और विरष्ठता एवं योग्यता कोटा के तहत यूनिट आधारित पदोन्नति पर लागू नहीं, ऐसा मानकर संबंधित यूनिट ने उनकी विवर्जन अविध के दौरान ही उन्हें विरष्ठता एवं योग्यता कोटा के तहत पदोन्नत कर उसी स्टेशन में उसी ग्रेड में तैनात किया।

It has come to the notice of the Department that in one of the constituent units, an official who was debarred by the department for a period of one year for his refusal for acceptance of the order of promotion and posting under the merit quota has been promoted and posted in the same grade within the same station during the period of debarment by the unit concerned under

Seniority-cum-Fitness quota on the presumption that the debarment by the Department was applicable only for promotion under merit quota and not for unit-based promotion under Seniority-cum-Fitness quota.

3. उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी विशेष श्रेणी में उनकी पदोन्नति एवं तैनाती को स्वीकृत नहीं करने के कारण उन्हें पदोन्नति से विवर्जित किया जाता है तो वह मेरिट और विरष्ठता एवं योग्यता दोनों के लिए उस ग्रेड हेतु एक वर्ष की अविध के लिए पदोन्नित हेतु पात्र नहीं होंगे ।

In the above context, it is clarified that in case an employee is debarred from promotion to a particular grade for his refusal for acceptance of the promotion and posting, he/she would not be eligible for promotion to that grade for a period of one year both under merit and Seniority-cum-Fitness quota.

4. सभी इकाइयों के प्रधानों से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति के अनुपालन हेतु नोट करें।
All the Heads of Units are requested to note the above position for compliance.

(सी. डी. चाको/C.D.Chacko) अवर सचिव (काडर)/Under Secretary (Cadre)

इकाइयों के प्रधान/Heads of Units

प्रतिलिपि/Copy to: पऊवि के सभी अधिकारी/अनुभाग/All Officers/Sections in DAE